न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर), शिवगंज जिला—सिरोही

बइजलास श्री नीरज मिश्र, आर0ए0एस0

अपीलान्ट
जोजूदेवी पत्नी ओटाराम पुत्र
पनारामजी जाति कलबी निवासी
मणादर तह0 शिवगंज जिला सिरोही

विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह देवडा

बनाम

रेस्पोंडेंट
1.ग्राम पंचायत मणादर
2.खेताराम पुत्र ओटाराम
3.देवी पुत्री ओटाराम
4.वरदा पुत्र ओटाराम
5.हिन्दुराम पुत्र ओटाराम
सर्वजातियान— कलबी
सर्वनिवासीयान—मणादर
6.तहसीलदार, शिवगंज जिला सिरोही

विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्रसिंह राव
रेस्पो. सं. 2 ता 5

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 व राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम

राजस्व अपील संख्यां—04/2025

— : निर्णय : —

दिनांक 15.07.2025

उपरोक्त अनवान सदर में अपीलाण्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 व धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 3755 दिनांक 20.02.2023 निरस्त करने का पेश किया गया, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मणादर, पटवार हल्का मणादर, भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र मांडानी, तहसील—शिवगंज, जिला—सिरोही में कृषि भूमि खसरा संख्या 200 व 201 वर्तमान रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा आई हुई है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि जोजु देवी पत्नी ओटाराम, जाति—कलबी, निवासी—मगादर तहसील शिवगंज, जिला—सिरोही (राज) की कृषि भूमि थी तथा राजस्व रेकर्ड में भी उनके नाम से खातेदारी में दर्ज थी। तथा जोजु देवी ने दानिया पुत्र घुडाजी, जाति—कुम्हार, निवासी—मणादर तहसील शिवगंज, जिला—सिरोही (राज) से जरिये विक्रय विलेख दिनाँक 24.11.2005 को खरीद की हुई है उसके बाद से उक्त जमीन अपीलार्थी के नाम पर दर्ज है। जोजु देवी पत्नी ओटाराम जाति—कलबी, निवासी—मणादर, तहसील—शिवगंज, के नाम की एक महिला गाँव में और थी उसकी मृत्यु दिनाँक 05.01.2023 को होने से उसके वारीसानों ने फौतगी नामान्तरण दुसरा दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का मणादर को मृत्यु प्रमाण—पत्र दिया तथा पटवारी हल्का द्वारा सही जाँच नहीं कर अपीलार्थी के खातेदारी भूमि में जो जोजु देवी की मृत्यु हुई है उसके वारीसानों की जाँच कर नामान्तरण दर्ज कर लिया तथा पटवारी दस्तावेजों के आधार पर भू अभिलेख निरिक्षक द्वारा भी उसे सही मानकर ग्राम पंचायत मणादर की बैठक में दिनाँक 20.2.2023 को उक्त नामान्तरण को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत कर लिया गया तथा स्वीकृत होने के पश्चात् जोजु देवी के वारीसानों के नाम रेकर्ड में इन्द्राज हो गये है। अपीलार्थी ने किसी काम से जमाबंदी निकलवाई तब मालूम पडा कि जो अपीलार्थी की जगह दुसरी जोजु देवी की मृत्यु हुई है उसके वारीसानों के नाम जमाबंदी में इन्द्राज हो गये है जबकि अपीलार्थी आज भी जिन्दा है तथा अपीलार्थी की उक्त जमीन खरीदशुदा है तथा पटवारी हल्का द्वारा व भू अभिलेख निरिक्षक द्वारा व ग्राम पंचायत मणादर द्वारा सभी ने मिलकर गलत जाँच कर जिवित जोजु देवी की जगह मृत हुई जोजु देवी के वारीसानों का नामान्तरण दर्ज कर लिया जो गलत है व विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी द्वारा मृत जोजु देवी के वारीसानों से सम्पर्क किया तो उन्होनें भी कहा कि हमनें दुसरी जमीन में नामान्तरण दर्ज करने हेतु दिया था। राजस्व अधिकारियों व ग्राम पंचायत द्वारा गलत नामान्तरण भर दिया है तथा उक्त जमीन हमारी नहीं है। वर्तमान में मौके पर जोजुदेवी जो जिवित है उनका ही कब्जा—काश्त है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जोजु देवी को जिसमें सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। ऐसी रिथति में नामान्तरण स्वीकृत का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध होने से खारीजगी काबिल है। अपीलार्थी को जानकारी होते ही उसी दिन नियमानुसार आवेदन पेश कर नामान्तरण की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त की। उक्त नकल प्राप्त होते ही बिना किसी देरी के यह अपील जानकारी दिनाँक 03.05.2025 से अन्दर म्याद है। प्रार्थना—पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि अपीलार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार फरमाकर उक्त नामान्तरण को खारीज कर वादग्रस्त कृषि भूमि का नामान्तरण नियमानुसार दर्ज कराने के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:10:43 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज— 2

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर किए जाकर रेस्पोडेण्ट को सम्मन जारी हुए। रेस्पोडेण्ट संख्या एक ता 8 के सम्मन तामील होकर प्राप्त हुए। रेस्पोडेंट सं. 2 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब नहीं देते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया। रेस्पोडेंट सं0 1 व 6 का जवाब प्राप्त नहीं होने से उनके विरूद्ध दिनांक 15.07.2025 को एक तरफा कार्यवाही की जाकर इनका जवाब बंद किया गया। व इसी दिन अपीलांट की बहस सुनी गई।

हमनें पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन एवं अपीलांट की बहस पर मनन किया, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलांट कानूनी व नामान्तरकरण प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ था जिससे अपीलान्ट इस विश्वास में रही कि उक्त आराजी में अपीलाण्ट के नाम से ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज होगा परन्तु अपीलान्ट को प्रथम बार पटवारी हल्का से दिनांक 03.05.2025 को राजस्व रेकर्ड की जानकारी ली तब पता चला कि उनका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। अपीलान्ट को अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने की जानकारी अभी होने से अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की है। साथ ही वर्तमान में कृषि भूमि पर जोजुदेवी जो जिवित है उनका ही कब्जा-काश्त है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जो जिवित जोजु देवी है, उन्हें सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। व अन्य जोजूदेवी जिसकी मृत्यु दिनांक 05.01.2023 को होने से उनके वारिसान के नाम नामांतरकरण दर्ज कर दिया गया है ऐसी स्थिति में नामान्तरण स्वीकृत का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध होने से काबिल खारीज योग्य है। ग्राम पंचायत मनादर ने अपनी सामान्य बैठक दिनांक 20-02-2023 को उक्त नामान्तकरण से सम्बन्धित वस्तुस्थिति से अवगत नहीं होने पर नामान्तकरण राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था जो कि नामान्तकरण संख्या 3755 पंचायत बैठक दिनांक 20-02-2023 को जरिये अन्य जोजूदेवी की मृत्यु होने होने से सहवन से स्वीकृत किया हुआ प्रतीत होता है इन परिस्थितियो में उक्त नामान्तकरण जिसकी प्रविष्टियां ग्राम पंचायत के सहवन से हुई हैं, जो खारिज होने योग्य है। अतः सरपंच ग्राम पचायत मनादर ने अपीलार्थी के जिवित होते हुए भी उक्त नामांतकरण दिनाक 20.02.2023 को स्वीकार किया है जो न्यायिक एंव विधि सम्मत नहीं होने से **नामान्तकरण संख्या 3755 में सरपंच ग्राम पंचायत मनादर द्वारा पारित आदेश दिनाक 20.02.2023 को अपास्त किया जाता है** व तहसीलदार शिवगंज को रिमांड किया जाता है कि ग्राम मणादर के खसरा नं0 200 व 201 कुल रकबा 15-10 बीधा भूमि का गुणावगुण के आधार पर अपीलांट के मूल विक्रय विलेखों की जांच कर उसके अनुसार एक माह के भीतर नामान्तरकरण संबंधी कार्रवाही कर प्रकरण का निस्तारण आवश्यक रूप से करें। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

यह निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

क्रमांक/कोर्ट/2025/ 415

दिनांक 15.07.2025

प्रतिलिपिः-

तहसीलदार शिवगंज को पालना कर रिपोर्ट भिजवाने हेतु प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:10:43 IST
Reason: SelfAttested